

कार्यालय आदेश नं- 703/2021


संकायि-111/सोन के टिप्पणी स ECR/SEE/OPERS/COF/1/2020 दिनांक-20.08.2021 के अनुसार बी शिन्धु राय हेल्पर विद्युत/गाड़ी प्रकाश मुजफ्फरपुर (लेवल-01) विधिकृत अन्तर्गत पर विकोटिक्त होने के फलस्वरूप वैकल्पिक पद पर सम्महलन किये जाने के परभाव वाणिज्य विभाग में सम्महोजन पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये वैकल्पिक पद पर सम्मन देलन एव सम्मन देलनमान में पदस्थापित किये जाते है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इनकी बरीवता विकोटिक्त होने के फलस्वरूप नवी बरीवता इकाई में नियमानुसार निर्धारित की जावेगी।

क्रम सं	कर्मचारी का नाम पदनाम कार्यरत स्टेशन	पे-लेवल/बैसिक पे	विकोटिक्त होने की तिथि एव विकोटिक्त के परभाव विधिकृत बेनी	सम्महलन के उपरंत पद एव पदस्थापना स्थल	सम्महलन के उपरंत वर्तमान पद पर देलन विधिकृत
01	बी शिन्धु राय हेल्पर/विद्युत गाड़ी प्रकाश मुज०	पे-लेवल-01/ पेंड पे-1800 /बैसिक 27200/-	Date 26.08.21 Fit in B-2 (Bee-Two) and below category avoiding in any Strenuous Job	WRB/SEE	पे-लेवल-01/ पेंड पे-1800 /बैसिक -27200/01.07.21

यदि पदस्थापना आदेश जारी होने के परभाव सुजित विशेष अधिसूच्य पद के सम्महलन होने के कारण संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा सम्महोजित किये गये नये पद एव पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित नही किया जाता है, तो सारी जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।

पदस्थापना आदेश जारी होने के परभाव सुजित विशेष अधिसूच्य पद स्वतः सम्महलन माना जावेगा। आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी द्वारा पदस्थापित किये गये पद पर योगदान नही दिया जाता है, तो उस अवधि को अनुपस्थित माना जावेगा और अनुपस्थित अवधि के उनके अवकाश खाते में रकम अधिकारी के आदेशानुसार विद्यमान किया जावेगा।

उपयुक्त पर सम्मन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


(विजय ईशानिकर)
संकायि-111
कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर

दिनांक-13.10.2021

सं०-का/227/11/घ० श्रेणी/वाणिज्य/सोन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वर्याधि/सोनपुर, वमवाप्र/सोनपुर
02. मुफिधी/सोनपुर, वमवाई/सोनपुर, वमवाई(समाधि)/सोनपुर
03. सीसेई/विद्युत/गाड़ी प्रकाश कियो मुजफ्फरपुर
04. मुकार्याधी/एमपीपी सोनपुर
05. मुकार्याधी/बिल/सोनपुर
06. मुकार्याधी /विद्युत/सवर्ग
07. मुख्य वाणिज्य निरीक्षक सोनपुर
08. मुख्य टिकट निरीक्षक/सोनपुर
09. स्टैधी/सोनपुर
10. संबंधित कर्मचारी अमितेखप्रति
11. कार्यालय आदेश प्रति/साधिका प्रति
12. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एसो० सोनपुर मंडल

कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर